न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 42/2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/295

1. सुरती देवी पुत्री किशनाराम पत्नी गोपीराम जाति बावरी निवासी 8ए तहसील व जिला अनूपगढ़

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू.अ. अनूपगढ़
2. लक्ष्मणराम पुत्र किशनराम जाति बावरी निवासी 20 एएस तहसील व जिला अनूपगढ़
3. धर्माराम पुत्र किशनाराम जाति बावरी निवासी 20 एएस तहसील व जिला अनूपगढ़
4. बकती देवी पुत्री किशनाराम जाति बावरी निवासी 8 ए तहसील व जिला अनूपगढ़......................(मृतक)
   4/1. शकीना बाई पुत्री बकती देवी जाति बावरी निवासी 8 ए तहसील व जिला अनूपगढ़
   4/2. सिकंदर पुत्र बकती देवी जाति बावरी निवासी 8 ए तहसील व जिला अनूपगढ़
   4/3. सुखविन्द्र पुत्र बकती देवी जाति बावरी निवासी 8 ए तहसील व जिला अनूपगढ़
5. सरदारी देवी पुत्री किशनाराम जाति बावरी निवासी 8 ए तहसील व जिला अनूपगढ़

—प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

1. श्री दिनेश कामरा, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. तहसीलदार अनूपगढ़, प्रत्यर्थी सं. 1
3. श्री हंसराज डाल, प्रत्यर्थी सं. 2—3
4. श्री दिनेश सैन, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 4/1 से 4/3
5. अनुपस्थित, प्रत्यर्थी सं. 5

—:: निर्णय ::—

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

दिनांक : 18/07/2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. अपीलार्थी के द्वारा यह अपील मय प्रा. पत्र धारा 5 मियाद अधि. व 96 सीपीसी तहसीलदार अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 25.02.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं जिसके द्वारा अपीलाधीन भूमि का चक 1 के.ए.एम. बी तहसील अनूपगढ़ के मु.न. 23 प.नं. 240/472 की कुल 3.973है. में से 1.872है. भूमि का प्रत्यर्थी लक्ष्मणराम के पक्ष में वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है। पत्रावली(प्र.सं. 24/2021) पूर्ववर्ती न्यायालय अति. जिला कलक्टर सूरतगढ़ से क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज की गयी। प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधित अभिलेख तलब किया गया।

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

2. अपीलार्थी अधिवक्ता अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी के पिता किशनाराम के नाम से चक 1 के.ए.एम. बी तहसील अनूपगढ़ के मु.नं. 23 प.नं. 240/472 का 3.973है. भूमि रिकार्ड दर्ज थी। रेस्पों. सं. 2 ने किशनाराम की तथाकथित कूटरचित वसीयत अपने नाम से तैयार करवाकर अधिनस्थ न्यायालय से वसीयत आधार पर इन्तकाल के आदेश पारित कर लिये। अपीलाधीन भूमि किशनाराम की सयुंक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पत्ति थी। जिसकी वसीयत करने का उनको अधिकार नहीं था ना ही उनके द्वारा स्वैच्छा से कोई वसीयत की गयी। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 11.10.2018 व 15.11.2018 पर प्रार्थी की अनुपस्थिति का अंकन है परन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण अदम हाजरी में खारिज नहीं किया गया। आलौच्य आदेश विधि विरूद्ध तरीके से अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु सम्मन नोटिस भी जारी नहीं किया गया। बल्कि सीधे समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन करवाया गया। समाचार पत्र भी प्रचलित नहीं हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सीपीसी के प्रावधानों की पालना नहीं की गयी हैं। सर्वप्रथम साधारण उसके पश्चात रजि. डाक द्वारा अन्ततः समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा सम्मन/नोटिस की तामील करवाई जा सकती हैं। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सीधे ही समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया गया हैं जो कि विधिनुरूप नहीं हैं। अपीलाधीन आदेश अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना एकपक्षीय पारित किये जाने से प्रारम्भ से ही शून्य हैं।
3. अपीलार्थी अधिवक्ता का आगे कथन हैं कि अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पक्षकार नहीं थे इसलिए उन्हें प्रभावित पक्षकार होने के कारण अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने हेतु निवेदन किया। आलौच्य आदेश की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 19.03.2021 को हुई। अविलम्ब नकलें प्राप्त की गयी। इससे पूर्व कोविड 19 संक्रमण होने के कारण लॉकडाउन होने से अपीलार्थी को जानकारी नहीं हुई। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर मियाद ग्रहण करने एवं अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध बिना अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिए पारित किया जाने के कारण अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने हेतु निवेदन किया। अपीलार्थी अधिवक्ता के द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2023 आरबीजे 101, आरबीजे (28)2021 पेज सं. 356, आरआरडी 1989 पेज 45 व एआईआर एससी 1353 की प्रतियां प्रस्तुत की।
4. अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 4/1 से 4/3 ने अपीलार्थी अधिवक्ता के कथनों का समर्थन किया। प्रत्यर्थी सं. 1 ने निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए पारित किया गया हैं, अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 2 से 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रत्यर्थी सं. 2 अपने पिता की सेवा करते थे जिससे प्रसन्न होकर उनके द्वारा वसीयत की गयी हैं। भूमि किशनाराम की स्वअर्जित सम्पत्ति थी जिसकी वसीयत करने का उनको पूर्ण अधिकार था। वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज किया जाना

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

संक्षिप्त प्रक्रिया हैं जिसके तहत वसीयतकर्ता के वारिसान को सुने जाने का कोई प्रावधान नहीं हैं। दस्तावेज वसीयत पंजीबद्ध दस्तावेज हैं जिसके आधार पर नामान्तरण दर्ज करने के आदेश पारित किये गये हैं। अपीलार्थी के द्वारा वसीयत को सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौति दिये जाने से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया हैं। ना ही कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गयी हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत की जांच कर वसीयत गवाहान के शपथ पत्र प्राप्त करने के उपरान्त आदेश पारित किया गया हैं। अपीलार्थी के द्वारा कथन किया गया है कि उन्हें अधिनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं परन्तु यदि उनके पास कोई दस्तावेज था तो वे इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते थे। अपीलार्थी सद्भावी नहीं हैं। अपील सारहीन हैं तथा मियाद बाहर पेश की गयी हैं। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करने का कोई आधार नहीं हैं। अपील मय प्रा. पत्र धारा 5 मियाद अधि. अस्वीकार करने के लिए निवेदन किया।

5. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पक्षकार नहीं थे उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं मिला इसलिए न्यायहित में अपीलार्थी के विधिक हितार्थ प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी स्वीकार कर अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

6. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2019 का हैं तथा अपीलार्थी के द्वारा अपील न्यायालय में दिनांक 01.04.2021 को प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि. में यह अंकित किया हैं कि उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी 19.03.2021 को हुई । अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपियों का अवलोकन किया जिस पर नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने करने की तारीख दिनांक 19.03.2021 व नकल प्रदान करने की तारीख 19.03.2021 अंकित हैं। अपीलार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा कर अपील अन्दर मियाद ग्रहण की जाती हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

7. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी(प्रत्यर्थी) द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण अदम हाजरी में खारिज नहीं किया गया। किसी भी पक्षकार के अनुपस्थित रहने पर प्रकरण खारिज करने, सुनवाई स्थगित करने या उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर निर्णय पारित करने का न्यायालय को अधिकार प्राप्त हैं न्यायालय प्रकरण को खारिज करने हेतु बाध्य नहीं हैं। प्रार्थी लक्ष्मणराम के द्वारा तहसीलदार अनूपगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र मय वसीयत पत्र प्रस्तुत कर वसीयत आधार पर नामान्तरण दर्ज करने का आवेदन करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी से रिपोर्ट तलब की गयी व सार्वजनिक सूचना जारी कर

जिला कलक्टर अनूपगढ़

आपत्तियां आमंत्रित की गयी। वसीयत के गवाहान के शपथ पत्र प्राप्त किये गये। वसीयतग्रहिता का शपथ पत्र लिया गया। इसके उपरान्त सार्वजनिक सूचना पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर वसीयत आधार पर नामान्तरण दर्ज करने के आदेश पारित किये गये हैं। वसीयत पंजीबद्ध दस्तावेज हैं। पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर नामान्तरण से पूर्व मृतक खातेदार/वसीयतकर्ता के सभी वारिसान को सुने जाने का आज्ञापक प्रावधान नहीं हैं। अपीलार्थी के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया हैं कि उनके द्वारा पंजीबद्ध दस्तावेज को सक्षम न्यायालय में चुनौति दी हो। न्यायालय की राय में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया हैं जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं हैं। अपील खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 18/07/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़